भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2558
मंगलवार, 10 अगस्त, 2021/19 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

स्थानीय पर्यटक गाइडों को मान्यता प्रदान करना

2558 डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ऐतिहासिक स्मारकों पर स्थानीय पर्यटक गाइडों को मान्यता प्रदान करने के लिए कार्य-ढांचा/प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी/समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ग) क्या मंत्रालय ने देश में संबंधित विश्वविद्यालयों के इतिहास विभागों की सहायता से स्थानीय पर्यटक गाइडों को शामिल करने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय स्थानीय स्तर पर कोई गाइडिंग लाइसेंस जारी नहीं करता है। स्थानीय स्तर पर गाइड लाइसेंस जारी करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हेतु केवल निर्देशात्मक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहले ही अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीएफ/आईआईटीजी) प्रमाणन कार्यक्रम की शुरूआत कर चुका है, यह एक डिजीटल पहल है जिसका लक्ष्य देश में सुप्रशिक्षित तथा पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं के समूह के सृजन के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार करना है। पर्यटन मंत्रालय के अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्थान भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) इस कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है।

यह कार्यक्रम 01.01.2020 को शुरू किया गया था। इसके तहत अभ्यार्थियों के लिए मूलभूत, उच्च (आईआईटीएफ-विरासत एवं एडवेंचर), मौखिक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तैयार करने के लिए आईआईटीटीएम को अग्रणी विश्वविद्यालयों से इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं। अभ्यार्थी किसी भी स्थान से किसी भी समय और अपनी गति से इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं। विभिन्न डिजिटल उपकरणों के माध्यम से इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उक्त अभ्यर्थी व्यावसायिक रूप से प्रमाणित पर्यटक सुविधाप्रदाता बन सकेगा जो सूचना के प्रसार द्वारा पर्यटकों की सहायता कर सकेगा, इस देश के बारे में उनकी रूचि जागृत कर सकेगा और अनुभवजन्य पर्यटन का आनंद दे सकेगा।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना' (सीबीएसपी) के अन्तर्गत अपनी स्व-प्रेरित पहलों के तहत भाषायी पर्यटक सुविधाप्रदाताओं (एलटीएफ) के प्रशिक्षण हेतु 6 सप्ताह के भाषा पाठ्यक्रम (ऑफ लाइन) यथा डच, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदि चला रहा है। इस भाषायी पर्यटक सुविधाप्रदाता कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न देशों से भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सहायता के लिए प्रशिक्षित श्रमशक्ति का सृजन और विदेशी पर्यटकों से उनकी

अपनी भाषा में प्रभावी ढंग से बातचीन करने के लिए मौजूदा सेवाप्रदाताओं के कौशल का उन्नयन करना है।

****